न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या 31/2021

अनिल कुमार यादव पुत्र श्री फूलचन्द यादव जाति अहिर निवासी ग्राम बखराना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
2. झाबरमल पुत्र प्रभातीराम जाति यादव निवासी बखराना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1272 दिनांक 28/6/2017 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) बाबत खसरा नम्बर 544/0.11, 547/0.13, 548/0.21, 548/903/0.23 हैक्टर वाके ग्राम रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 05.8.2021

अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील नामान्तरकरण संख्या 1272 दिनांक 28/6/2017 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली से व्यथित होकर उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व अपील पेश की है, जो प्रस्तुत की गयी अपील में वर्णित तथ्य निम्न प्रकार पेश हैं :–

1. यह है कि आराजी ख.नं. 544/0.11, 547/0.13, 548/0.21, 548/903/0.23 हैक्टर वाके मौजा रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित है।
2. यह है कि उक्त खसरा नम्बरान् में अपीलान्ट का 1/9 का खातेदार काश्तकार था तथा उक्त चारों खसरा नम्बरानी की कुल भूमि 0.68 है0 थी। उक्त 0.68 है0 भूमि में से अपीलान्ट की 1/9 हिस्से की भूमि 3.60 एयर भूमि का विकय रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को दिनांक 29/5/2017 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से कर दिया गया था तथा इसी विकय पत्र के पश्चात् भी अपीलान्ट की 395.55 वर्गमीटर भूमि शेष बची थी, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं उनके कर्मचारियों द्वारा बिना ध्यान दिये ही विकय की गयी भूमि 3.60 एयर के बजाय अपीलान्ट के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि 1/9 का नामान्तरकरण संख्या 1272 दिनांक 28/6/2017 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम खोल दिया, जबकि अपीलान्ट के पक्ष में 395.55 वर्गमीटर भूमि अपीलान्ट की शेष बचती थी। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने तथा उनके कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक अपीलान्ट के सम्पूर्ण हिस्सा 1/9 का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम खोल दिया गया जो निरस्तनीय है।
3. यह है कि नामा.सं. 1272 दिनांक 28/6/2017 के बाबत पूर्व जानकारी नहीं थी दिनांक 26/6/2021 को जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब जाकर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुयी, जिस पर नामा. की नकल दिनांक 28/6/2021 को प्राप्त कर कानूनी सलाह लेकर बिना किसी देरी के अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश की है।
4. यह है कि अपील श्रीमान् न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है, जो अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामा.सं. 1272 दिनांक 28/6/2017 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत खसरा नम्बर 544/0.11, 547/0.13, 548/0.21 व

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

548/903/0.23 हैक्टर वाके मौजा रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को अपास्त किया जाकर उक्त आराजीयात् में 395.55 वर्गमीटश्र अर्थात 396 वर्गमीटर भूमि दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें।

5. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनायी जाकर सम्मन नोटिस जारी किये गये। बाद तामील प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा प्रकरण में जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित किया है कि उक्त आराजीयात् में 3.60 एयर भूमि का दिनांक 29/5/2017 को कय किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कय की गयी भूमि का ही नामान्तरकरण चाहता है। इससे अधिक भूमि का नामान्तरकरण किया गया है तो उसमें दुरूस्ती होती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. बहस वकील अपीलान्ट की सुनी गयी। वकील अपीलान्ट का प्रस्तुत बहस में अभिकथन है कि आराजी ख.नं. 544/0.11, 547/0.13, 548/0.21, 548/903/0.23 हैक्टर वाके मौजा रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली में स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान् में अपीलान्ट का 1/9 हिस्सा था। उक्त खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 0.68 हैक्टर भूमि में से अपीलान्ट के हिस्से में आयी भूमि 1/9 हिस्सा में से 3.60 एयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम दिनांक 29/5/2017 को रजिस्टर्ड विकय-पत्र से बेचान कर दिया तथा विकय-पत्र करने के पश्चात् अपीलान्ट की 395.55 वर्गमीटर भूमि शेष बची थी, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उनके कर्मचारियों द्वारा विकय-पत्र की बिना पूर्ण जांच किये तथा बिना ध्यान करे विकय की गयी भूमि 3.60 एयर भूमि के बजाय अपीलान्ट का सम्पूर्ण हिस्सा 1/9का नामा.सं. 1272 दिनांक 28/6/2017 को खोला जाकर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम तस्दीक कर दिया, जो न्यायोचित एवं विधि संगत नहीं है, जो खारिज योग्य है। अपीलान्ट को उक्त नामा.सं. 1272 दिनांक 28/6/2017 वाके ग्राम रायकरणपुरा की जानकारी जमाबंदी की नकल निकलवाने पर हुयी। अतः नामा.सं. 1272 दिनांक 28/6/2017 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत ख.नं. 544/0.11, 547/0.13, 548/0.21, 548/903/0.23 वाके मौजा रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को अपास्त किया जावें। विकय-पत्र में वर्णित भूमि का बेचान किया है। उसी का ही नामा. खोला जावें तथा अपीलान्ट की शेष भूमि 395.55 वर्गमीटर अर्थात 396 वर्गमीटर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

7. बहस पैरोकार सरकार की सुनी गयी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया है कि मुताबिक विकय-पत्र ही रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम नामान्तरकरण खुलना चाहिए था यदि विकय-पत्र के अनुसार विकय की गयी भूमि से अधिक नामान्तरकरण सहवन से खोला गया है तो उसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है।

8. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामा.सं. 1272 दिनांक 28/6/2017 वाके ग्राम रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली का स्वीकार होना पाया जाता है। वकील अपीलान्ट का प्रस्तुत बहस में अभिकथन है कि आ.ख.नं. 544/0.11, 547/0.13, 548/0.21, 548/903/0.23 हैक्टर वाके मौजा रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली में अपीलान्ट का 1/9 हिस्सा था, जिसका कुल रकबा 0.68 है० भूमि में से अपीलान्ट के हिस्से में आयी 1/9 हिस्से में से 3.60 एयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम दिनांक 29/5/2017 को रजिस्टर्ड विकय-पत्र से बेचान कर दिया तथा 395.66 वर्गमीटर भूमि अपीलान्ट की शेष बची थी, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तहसीलदार कोटपूतली द्वारा तथा उनके राजस्व कर्मचारियों द्वारा विकय-पत्र की बिना जाँच किये एवं इस सम्बन्ध में बिना ध्यान किये अपीलान्ट का सम्पूर्ण हिस्सा 1/9 का नामान्तरकरण खोला जाकर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम तस्दीक कर दिया जो न्यायोचित नहीं है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालयद्वारा तस्दीक नामा.सं. 1272 दिनांक 28/6/2017 को अपास्त किया जावें एवं मुताकिब

अति. जिला कलक्टर (जयपुर)

विक्रय–पत्र में वर्णित भूमि का बेचान किया है उतनी ही भूमि रेस्पोडन्ट संख्या 02 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की जावें। उक्त नामान्तरकरण के द्वारा 399.55 वर्गमीटर भूमि हटायी जाकर यानि कम कर अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की जावें।

चूँकि पत्रावली उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं उभयपक्षों की बहस सुनी जाने के उपरानत मनन करने पर पाया है कि उक्त नामा.सं. 1272 वाके ग्राम रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली का दिनांक 28/6/2017 को मुताबिक विक्रय–पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा स्वीकार किया जाना पाया गया। उक्त विवादित भूमि में अपीलान्ट का 1/9 हिस्सा या जिसका कुल रकबा 0.68 है0 है। मुताबिक विक्रय–पत्र में अवलोकन से 3.60 एयी भूमि का ही अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र कराया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये अपीलान्ट का सम्पूर्ण हिस्सा 1/9 रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर उक्त नामा. खोल दिया गया, जबकि अपीलान्ट द्वारा 1/9 हिस्से में से 3.60 एयर भूमि का ही बेचान किया गया है। शेष हिस्से की भूमि 395.55 वर्गमीटर अपीलान्ट की बचती है। इससे स्पष्ट है कि उक्त नामा.सं. 1272 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय–पत्र की पूर्ण जांच किये बिना नामा. तस्दीक किया है। इसलिए उक्त नामा. अपास्त किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामा.सं. 1272 वाके ग्राम रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 28/6/2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि विक्रय–पत्र दिनांक 29/5/2017 के मुताबिक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज करने का निर्णय पारित करें । तद्उपरान्त अपीलान्ट के हिस्से की शेष बची भूमि अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने की कार्यवाही करें। निर्णय की पालनार्थ हेतु तहसीलदार कोटपूतली को निर्णय की प्रति पालनार्थ हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 5.8.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)